न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

स/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/1742

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव एड.
13-3-18
21-3-18
13-3-18

21-3-18

मुकेश भार्गव
13-3-18 एडवोकेट
ग्वालियर

छकौड़ी पुत्र ढिलुबा पाल
निवासी ग्राम पवाई तहसील चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

विनोद पुत्र बड़े गौतम
निवासी ग्राम पवाई तहसील चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 419/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम पवाई तहसील चंदला में स्थित वाद भूमि ख.नं. 101 रकवा 0.081, 104 रकवा 0.129, 415 रकवा 0.057, 508 रकवा 0.024 है. ाूमियां तहसील न्यायालय के प्र.क्रं. 2/अ–19(4) वर्ष 1988–89 में में पारित आदेश दिनांक 25.10.89 से आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/ छतरपुर/भू.रा./2018/1742 छकौड़ी विरूद्ध विनोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 419/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	